भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2243
16 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजातीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जाना

2243. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनजातीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(ख) जनजातीय चिकित्सा पद्धति से बनाई गई दवाओं के पेटेंट देने संबंधी उपबंधों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क): आयुष मंत्रालय जनजातीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है:

I. आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य भारत में लोक चिकित्साओं का सर्वेक्षण, प्रलेखन और मान्यकरण करना तथा उन्हें आयुष चिकित्सा पद्धतियों के साथ समेकित करना है।

II. आयुष मंत्रालय अपनी अनुसंधान परिषद नामत: केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के माध्यम से 15 राज्यों में जनजातीय उप-योजना के तहत अपनी इकाइयों/संस्थानों के जरिए ''जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी)'' कार्यान्वित करता आ रहा है। इसके अलावा, जनसांख्यिकी विवरण का प्रलेखन और जनजाति आबादी के बीच प्रचलित लोक चिकित्साओं/पारंपरिक अभ्यासों पर जानकारी का एकत्रीकरण का कार्य भी किया जाता है।

(ख): उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने सूचित किया है कि पेटेंट योग्य होने के लिए, किसी आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध अथवा होम्योपैथी उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं को पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 2(1)(ञ) के तहत, यथापरिभाषित ''आविष्कार'' के रूप में योग्य होना चाहिए।

पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1) (ञ) के अनुसार, ''आविष्कार'' से ऐसा नया उत्पाद या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें आविष्कार संबंधी कोई कार्रवाई अंतर्वलित है और जो औद्योगिक उपयोजन के लिए समर्थ है।

इस प्रकार, ऐसा कोई भी उत्पाद अथवा प्रक्रिया (अर्थात, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध अथवा होम्योपैथी उत्पाद अथवा प्रक्रियाएं) पूर्व कला के मुकाबले 'नई' होनी चाहिए।

इसके अलावा, ऐसे किसी उत्पाद अथवा प्रक्रिया में ''आविष्कार संबंधी कार्रवाई'' शामिल होनी चाहिए जैसा कि पेटेंट अधि नियम की धारा 2(1)(ञक) में परिभाषित है। ''आविष्कार संबंधी कार्रवाई'' से किसी आविष्कार का ऐसा अभिलक्षण अभिप्रेत है जिसमें विद्यमान ज्ञान की तुलना में तकनीकी प्रोन्नति अंतर्वलित है

या जिसका आर्थकि महत्व है या दोनों है और जो आविष्कार को कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं बनाता है।

इसके अलावा, ऐसा कोई उत्पाद अथवा प्रक्रिया औद्योगिक उपयोजन के लिए समर्थ होनी चाहिए जैसा कि अधिनियम की धारा 2(1) (कग) में परिभाषित है। किसी आविष्कार के संबंध में ''औद्योगिक उपयोजन के लिए समर्थ'' से ये अभिप्रेत है कि आविष्कार किसी उद्योग में किए जाने या उपयोग किए जाने के लिए समर्थ है।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पेटेंट योग्य होने के लिए ऐसे किसी आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध अथवा होम्योपैथी उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं को पेटेंट अधिनियम की धारा (3)(थ) के दायरे के भीतर नहीं आना चाहिए, जो ऐसे आविष्कार को जो वस्तुत: पारंपरिक ज्ञान है अथवा जो पारंपरिक रूप से ज्ञात संघटक अथवा संघटकों के ज्ञात गुणों का संकलन या पुनरावृत्ति है, पेटेंट से वर्जति करता है ।

*****